

डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल
फेलोशिप इन ह्यूमनटीज एण्ड सोशल साइन्स

दरिद्र व्यक्तियों की समस्याएँ

(फर्रुखाबाद जनपद का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

संक्षिप्तिका

डॉ. नरेश चन्द्र शुक्ल

एम.ए., पी-एच.डी., समाजशास्त्र,
सी.एस.एन.पी.जी. कालेज, हरदोई

सुपरवाइजर

डॉ. नीतू सिंह तोमर

एम.ए., पी-एच.डी., समाजशास्त्र,
पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली-110002

फरवरी-2018

दरिद्र व्यक्तियों की समस्याएँ

(फर्रुखाबाद जनपद का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

संक्षिप्तिका

भारत दुनियां के तेज आर्थिक विकास वाले देशों में है, पर इस विकास का लाभ दरिद्र व्यक्तियों को नहीं मिल रहा, इसका असर उसके विकास पर भी पड़ा, जो पिछले वर्षों में लगातार धीमा हुआ है। देश ने 90 के दशक में आर्थिक सुधार शुरू किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय देश के वित्त मंत्री थे। सुधारों से उम्मीद थी कि लोगों के आर्थिक हालात सुधरेंगे, लेकिन शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान न देने की बजह से दरिद्रता, भुखमरी, कुपोषण, भ्रष्टाचार और आर्थिक विषमता जैसी सामाजिक समस्याएँ बढ़ी हैं। अब यह देश के विकास को प्रभावित कर रहा है। तीन दशक के आर्थिक सुधारों के कारण देश ने प्रगति तो की है, लेकिन एक तिहाई आबादी आज भी दरिद्रता रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही है। भारत इस अवधि में ऐसा देश बन गया है जहाँ दुनियां भर के एक तिहाई दरिद्र रहते हैं। सामाजिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं और दरिद्रता बढ़ रही है।

दरिद्रता से पीड़ितों के लिए सहयोग जुटाने की तरह ही उन्हें यह समझाना आवश्यक है कि अपने व्यक्तित्व में दक्षता व्यवस्था तत्परता की कमी बनाए रखने वाला स्वभाव ही खुशहाली के मार्ग में भयानक चट्टान बन कर अड़ा हुआ है। यही दोष कभी अवसाद बन उत्पादन रोक देते हैं। कभी लापरवाही या अपव्यय बनकर साधनों को बर्बाद कर देता है। उक्त दोषों के रहते धन का सहयोग उल्टे आलस्य तथा दुर्व्यसन पैदा कर देता है। जो उन्नति के स्थान पर दुर्गति का कारण बनता है।

यदि लोगों में प्रगति के लिए व्यापक उत्साह उभारा जा सके और उसके आधार के रूप में अपनी दक्षता तत्परता के प्रयासों को स्वीकारा जा सके तो समझना चाहिए कि दरिद्रता उन्मूलन की आधी योजना सफल हो गई। ऐसा होने पर उदारवेत्ताओं, संस्थाओं, सरकारी सहयोगों की व्यवस्था बनाकर शेष आधा कार्य आसानी से पूरा किया जा सकता है।

दूसरे विश्वयुद्ध में बुरी तरह आहत जापान, जर्मन, रूस आदि ने अल्प समय में ही आश्चर्यजनक उन्नति कर ली। किसी समय का अफीमची देश चीन आज बड़ों-बड़ों को आँख दिखाने की स्थिति में है। यह चमत्कार तब हुए जब जन-जन ने निज दक्षता, व्यवस्था एवं श्रमशीलता उभारी और जनशक्ति को कष्ट साध्य कर्मठता में नियोजित किया।

शोध प्रबन्ध षष्ठ अध्यायों में विभक्त है।

प्रथम अध्याय दरिद्रता, दरिद्र व्यक्ति, सामाजिक समस्याओं के अर्थ पर प्रकाश डालता है। साथ ही यह मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं एवं दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं—रोटी, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि से सम्बन्ध भी स्पष्ट करता है।

दरिद्रता से तात्पर्य वह आर्थिक तंगी जो अखरे और जिसके बिना जीवन निर्वाह में अड़चन पड़े। अपने देश में अधिकांश व्यक्तियों की ऐसी मनः स्थिति और परिस्थिति है जिनके अनेक कारण हैं। अदक्षता प्रथम कारण है और रोज़गार का न मिलना दूसरा। इसके अतिरिक्त भी अनेकों कारण हैं, यदि इन दोनों का हल ढूँढ़ लिया जाए तो 'गरीबी हटाओ' आन्दोलन की अधिकांश सफलता मिली समझी जा सकती है अन्यथा दरिद्रता के दबाव में व्यक्ति दिन-प्रतिदिन पिछड़ता जाएगा। अपनी उन उमंगों को भी गँवा बैठेगा जो प्रगतिशील स्तर तक पहुँचाने की पृष्ठभूमि बनाती है। ऐसे लोगों का परिवार भी मुखिया का अनुशरण करता है, पिछड़ेपन का शिकार होता जाता है जबकि उन्हीं परिस्थितियों में पड़ोसी अपने उत्साह के आधार पर कहीं अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए बढ़ते ही जाते हैं।

अदक्षता का सबसे बड़ा कारण है—शारीरिक आलस्य और मानसिक प्रमाद। यह एक प्रकार की अपंगता है जो प्रायः मनः क्षेत्र पर छाई रहती है। वह ढ़र्रे के क्रिया-कलाप तो पूरे कर लेती है, पर यह नहीं सोचने देती कि दक्षता या व्यवस्था में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है क्या? यदि है तो उसे किस प्रकार सम्भव किया जाना चाहिए। प्रगति के लिए प्रबल इच्छा का होना आवश्यक है। मन पर मूर्छानामुर्दनी छाई रहे तो यथास्थिति बनाए रहना भी कठिन हो जाता है। जो उठता नहीं वह गिरता है। यथास्थिति बनाए रखना थोड़े दिन ही सम्भव होता है। पतन या उत्थान दोनों में से एक उसे अपनी ओर खींचने में सफल हो ही जाते हैं। जड़ता पथरों के लिए स्वाभाविक मानी जाती है पर प्राणधारियों के लिए उसे अयोग्य ठहराया जाता है फिर भी मनुष्य की विशेषता को देखते हुए उससे और भी अधिक आशा की जाती है। बरगद का वृक्ष अपनी शाखाओं में से जड़े निकालता रहता है और उन्हें नीचे भूमि में धसाकर अधिक खुराक पाने और अधिक विस्तार करने में जुटा रहता है। यदि अवरोध बाधक न बना हो तो ऐसे कई वृक्ष असाधारण विस्तार करते और आश्चर्य कर देने वाला दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। मनुष्यों के लिए उसकी चेतना को देखते हुए इच्छित दिशा में ऐसी ही प्रगति करते रहना एवं दरिद्रता की रेखा को लाँघते हुए समर्थ सम्पन्नता उपलब्ध कर सकना भी सम्भव है। परन्तु उस प्रमाद को क्या कहा जाए जो उज्ज्वल भविष्य के सपने देखना तक सहन नहीं करता और भाग्य भरोसे किसी प्रकार जिन्दगी के लिए काटते रहने की बात सोचकर अनिवार्य क्रियाशीलता न अपनाकर निष्क्रिय हो बैठता है। दरिद्रता से ग्रसित व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्ति मानसिक अवसाद के चंगुल में फंसे हुए होते हैं। छप्पर फाड़कर धन बरसने जैसे मीठे सपने उन्हें भले ही दीख जाते हों।

मनुष्य की सामर्थ्य असाधारण है, उसका पूरा उपयोग बन पड़ने पर निर्वाह की मौलिक आवश्यकताओं में कमी पड़ने जैसी दुर्घटना घटित नहीं हो सकती। पशु-पक्षी सर्वथा साधन रहित होते हुए भी शरीर यात्रा की आवश्यक साधन सामग्री अपनी अविकसित संरचना के सहारे भी जुटा लेते हैं और क्रीड़ा-कलोल करते, चहकते-उछलते जिन्दगी काट लेते हैं, परन्तु मनुष्य ही क्यों दरिद्रता के चंगुल में जकड़ा रहता है? उसे ही अभावग्रस्तता के कारण पग-पग पर अपने अरमानों को क्यों कुचलना पड़ता है?

अभावजन्य कष्ट सहना, उसके लिए भाग्य को या जिस-तिस को दोष देते रहना एक बात है और अपनी दक्षता एवं तत्परता को बढ़ाते हुए प्रगति का पथ प्रशस्त करना सर्वथा दूसरी। जिसमें चेतना जागृत होती है, उपाय खोजती है, अपनी श्रमशीलता और इच्छाशक्ति को जगाकर उसे आगे बढ़ने की दिशा में कुछ करने के लिए कुछ बदलने के लिए बाधित करती है उसे लिए मार्ग अवरुद्ध नहीं रह सकता। दरिद्रता उसके लिए अनिवार्य नियति बनकर नहीं रह सकती। मनुष्य की प्रगति के इतिहास का हर पृष्ठ यही बताता है कि 'जिन खोजा तिन पाइयाँ' की उक्ति शत-प्रतिशत सही है। अमीबा से प्राणी और आदिमकाल से साधनहीन नर-वानर को आज के समय जैसा सभ्य और सुविधा-सम्पन्न बनाने में उसकी प्रबल उत्कण्ठा ही प्रधान कारण रही है। उसके अभाव में क्षुद्र प्राणी किसी प्रकार उन्हीं परिस्थितियों में जीते मरते रहे हैं। अब भी वनवासी कबीले उन्नत व्यक्ति से दूर रहने का पूर्वाग्रह अपनाए हुए हैं और संसार के अनेक भागों में वे आदिमानव का प्रतिनिधित्व करते जहाँ-तहाँ एक कौतूहल के रूप में देखे जाते हैं। यदि उनमें कुछ प्रयत्न किया होता तो परिस्थितियाँ उनकी भरपूर सहायता करतीं। उत्तरी ध्रुव पर बसने वाले एस्किमों जाति के व्यक्तियों में से कुछ ने कनाडा से भी ऊपर उत्तरी ध्रुव पर जाकर बसने का साहस दिखाया और वे अपने सजातीयों को तुलना में सभ्य समाज के सदस्य बनकर सुविधायुक्त परिस्थितियाँ हस्तगत करने में सफल हुए। यह उदाहरण अन्यत्र भी लागू हो सकता है। फरूखाबाद के भडगड्डा अपनी परम्परा के साथ इतनी बुरी तरह चिपके हुए हैं कि निवास के लिए आवास एवं दरिद्र कल्याण की योजनाओं के लाभ से अभी भी वंचित हैं। फलतः यथास्थिति पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती आ रही है और इनका जीवन अति संकट में है।

दरिद्रता की रेखा से अधिकांश देशवासियों को उबारने, उनके पुनरुत्थान के लिए आवश्यक साधन प्रस्तुत करने की उदारता को न केवल अक्षुण्ण रहना चाहिए वरन् उसका अनुपात और भी बढ़ना चाहिए। इस मान्यता में भी कुछ सच्चाई है कि साधन मिलने पर उत्साह बढ़ता है और अनुकूलता प्राप्त करने के लिए प्रयास चलता है। सिद्धान्तः इस प्रकार के चिन्तन और प्रयास को भी सराहा ही जा सकता है, पर साथ ही उस मान्यता में एक कड़ी और भी जोड़नी आवश्यक है कि यदि अभावजन्य असन्तोष को न उभारा जा सका और दरिद्रता का मूल कारण अपनी दक्षता और व्यवस्था में कमी को दोषी न ठहराया जा सका तो पिछड़ेपन का आत्यन्तिक निदान या समाधान सम्भव न हो सकेगा। बाहर से दी हुई सहायता पिछड़ी प्रकृति के साथ जुड़े रहने वाले अनेकानेक छिद्रों में होकर बह जाएगी और फूटे घड़े में पानी टिक न सकने का उदाहरण बनेगी। स्वतन्त्रता के बाद पिछले सत्तर वर्षों में दरिद्रता हटाने में सरकारी अनुदानों में कोताही हुई है। यह लांछन कोई निष्पक्ष जन नहीं लगा सकता। फिर भी देखा जाता है कि पिछड़े क्षेत्र उतने ऊँचे नहीं उठ सके जितने कि कानूनी संरक्षण और आर्थिक प्रगति-प्रयासों के सहारे सम्भव हो सकता था। अर्थ साधन जुटाने की बात उचित भी है और सहज समझ में आने वाली भी, किन्तु ध्यान यह भी रखना चाहिए कि कुछ पा लेना एक बात है और उसका सही रीति से सदुपयोग कर सकना सर्वथा दूसरी। अर्थ-सहयोग की ही तरह दरिद्रता से पीड़ित व्यक्तियों को भी यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि उनकी दक्षता और तत्परता में कमी किए रहने वाला स्वभाव भी खुशहाली के मार्ग में भयानक चट्टान बनकर अड़ तो नहीं रहा है।

यदि यह कभी भी बाधक जान पड़े तो सम्मुनत वर्ग का कर्तव्य है कि दरिद्रता को ही नहीं वरन् उसका निमित्त कारण बन रही अकर्मण्यता को भी उखाड़ फेंकने वाले प्रचण्ड उत्साह उत्पन्न करें। इसके लिए जन सम्पर्क तो प्रमुख है ही, वैसा वृत्तान्त परिचायात्मक शैली में उनकी जानकारी में समाविष्ट किया जाए। इसके लिए चित्र प्रदर्शनी, स्लाइड प्रोजेक्टर से दिखाए जाने वाले प्रकाश चित्र, वीडियो, फिल्मस, नाटक, अभिनव, लोकगीत, लोकनृत्य जैसे अनेकों माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। प्रगति मेले लग सकते हैं, जुलूसों, प्रभात फेरियों, पद यात्राओं, समारोह, आयोजनों, पंचायतों को उपरोक्त उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदासी हटे, उपेक्षा छटे, यथास्थिति बनाए रहने वाले आलस्य-प्रमाद का दबाव घटे तब कहीं वह उमंग उभरे जो चट्टानों को फाड़कर अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ने का मार्ग बनाती है। प्राथमिक आवश्यकता इन दिनों इसी प्रचारात्मक प्रयोग की है, भले ही उसे कथा-वार्ताओं, सत्संग-कीर्तन जैसे धार्मिक प्रायोजनों द्वारा सम्पन्न किया जाए या आधुनिक स्तर के उन उपचार-प्रयोजनों से जो अशिक्षित स्तर के लिए ग्राम क्षेत्रों में बसी हुई जनता के गले उतर सके। प्रगति के लिए उत्साह उभारा जा सके और इसके लिए निजी प्रयास-परिवर्तन को प्रमुख आधार सिद्ध किया जा सके तो समझना चाहिए कि दरिद्रता उन्मूलन की आधी योजना सफल हो गई। शेष आधी में समर्थों का सामाजिक सहयोग शेष रह जाता है, जिसे व्यक्तिगत मानवी उदारता को जगाकर भी एक बड़े अंश में पूरा कराया जा सकता है। फिर सामाजिक संगठनों, अर्थ संस्थानों और सरकारी अनुदानों का अतिरिक्त समावेश भी जुड़ सके तो उसे सोने में सुहागा जुड़ जाने के सदृश ही कहा जाएगा। यदि इस ओर उपेक्षा अपनाई गई तो ऊपर से बरसने वाले मेघमालाएँ भी पथरीली भूमि पर हरियाली उगा नहीं सकेंगी। जो जितनी तेजी से वर्षा था उतनी ही तेजी से बहता हुआ नालों के तटबन्ध तोड़ेगा, बाढ़ जैसे विग्रह खड़े करेगा और दुर्व्यसनों की राह पर इस प्रकार धन व्यय होगा कि स्थिति पहले से भी अधिक बिगाड़ कर रख दे।

विश्व में ऐसे असंख्यों उदाहरणों के इतिहास पर्वत बनकर खड़े हैं जिनमें नितान्त गई-गुजरी परिस्थितियों में जन्मे बालक अपने स्वाभिमान का, आत्म-गौरव का, छिपे वर्चस्व का अनुभव कर सकने में समर्थ हुए। ऊँचा उठने, आगे बढ़ने के लिए असामान्य तत्परता के साथ अपने व्यक्तित्व को, गुण-कर्म स्वभाव को इस योग्य बनाते चले गए जिनके रहते समुन्नत परिस्थितियों और तदनु रूप व्यक्तियों के परामर्श सहयोग अनायास ही खिंचते चले आए और उत्थान के अभियान में भरपूर सहायता दे सके। यही है उन सफलताओं के धनी व्यक्तियों के सार-संक्षेप जिनने खड्ड से उबरकर समतल तक पहुँचने और समतल से पर्वत शिखर पर जा पहुँचने की कीर्ति ध्वजा फहराई। यह उदाहरण किन्हीं बिरलों पर ही लागू नहीं होता वरन् देखा जाता है कि अनीति से लोहा लेते हुए हर मनस्वी को आगे बढ़ने का मार्ग इसी प्रकार मिला है। जो इस लक्ष्य की उपेक्षा करते रहे और साधनों के बाहुल्य को ही सब कुछ मानते रहे तो वे दक्षता के अभाव में पूर्वजों की संचित सम्पदा को भी अपनी कुपात्रता के कारण गँवाते हुए चले गए और राजा से रंक बन गए।

द्वितीय अध्याय में दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन एवं अध्ययन क्षेत्र का वर्णन किया गया है। साहित्य के द्वारा दरिद्र व्यक्तियों के

जीवन यापन की स्थिति, क्रिया-कलाप, सामाजिक व्यवहार का ज्ञान होता है। दरिद्रता से सम्बन्धित साहित्य आर्थिक एवं सामाजिक क्रिया-कलापों का एक संग्रह माना जाता है।

दरिद्र व्यक्तियों की समस्याएँ मानव जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के वंचन तथा सामाजिक और आर्थिक असमानता पर आधारित है। भारतीय समाज विभिन्न धर्मों एवं वर्गों का संग्रह है। यहाँ विभिन्न मतालम्बी निवास करते हैं। धार्मिक एवं सामाजिक असमानता तथा आर्थिक विषमता के कारण उत्पन्न दरिद्र व्यक्तियों की समस्याएँ जैसे (1) सामाजिक भेद-भाव और सामाजिक निन्दा, (2) आवास और (3) दरिद्रता की उपसंस्कृति। अर्थात् दरिद्र व्यक्तियों समस्याएँ (i) भोजन का अभाव, (ii) वस्त्रों का अभाव, (iii) आवास का अभाव, (iv) स्वास्थ्य का अभाव, (v) निरक्षरता, (vi) बेरोजगारी, (vii) ऋणग्रस्तता और बन्धुआ श्रम (viii) बालश्रम, (ix) शोषण, (x) भिक्षावृत्ति, (xi) वेश्यावृत्ति, (xii) बाल-विवाह, (xiii) पूँजीवाद, (xiv) जातिवाद, (xv) अस्पृश्यता, (xvi) मध्यपान, (xvii) नशा, (xviii) अन्याय, (xix) भ्रष्टाचार एवं (xx) प्राकृतिक आपदा हैं। जिससे दरिद्रों का जीवन दिनों दिन बद् से बद्तर हो रहा है।

दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं से सम्बन्धित अध्ययन के विकास में दरिद्रता सम्बन्धित अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों के अध्ययनों पर भी द्वितीय अध्याय में प्रकाश डाला गया है। दरिद्रता एवं दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं से सम्बन्धित अध्ययन में अनेक अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों द्वारा अध्ययन करके विचार प्रकट किये गए हैं। जिनमें प्रमुख हैं—अमर्त्य सेन ने गरीबी और अकाल में, अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य अनुसन्धान संस्थान ने वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2012 में, अर्निका दीक्षित ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभान्वित परिवारों की समस्याएँ में, आनन्द कुमार ने समाज की प्राथमिक अवधारणाएँ में, आर. के. रस्तोगी ने भारतीय जनजातीय जीवन की समस्याएँ में, राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन में, एन. एल. गुप्ता ने दरिद्रीकरण में, काल मार्क्स ने बैसिमूल्य के सम्बोध में, खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट 2017 में, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान की रिपोर्ट 2017 में, जागरण वार्षिकी-2013 में, जी. वी. जोशी ने राइटिंग एण्ड स्पीच में, जवाहर लाल नेहरू ने कानपुर की गन्दी बस्तियों के लिये, दादा भाई नौरोजी ने पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इण्डिया में, बीरेन्द्र कुमार शर्मा ने मानव विकास और भारत में, भारत विकास रिपोर्ट-2011 में, मानव विकास रिपोर्ट-2013 ने Mulity Poverty Index अनुमानों में, यू.एन.ओ. की रिपोर्ट 23 जून-2010 में, यू.एन.डी.पी. ने ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट में, योगेश अटल ने रोल ऑफ वैल्यू एण्ड इन्स्टीट्यूशन इन चेलेंजिंग ऑफ पॉवर्टी इन इण्डिया में, योजना आयोग की राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास रिपोर्ट-2002 में, महात्मा गाँधी ने प्रन्यास सिद्धान्त में, महबूब उल-हक ने इप्लॉयमेंट एण्ड इन्कम डिस्ट्रीब्यूशन इन दि 1970 : ए न्यू पर्सपेक्टिव में, वीरा एन्स्टे ने भारत में आर्थिक विकास में लिखा, रमेश चन्द्र शर्मा ने कृषि अर्थशास्त्र में, विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2000-01 में, विलियम विल्सन हण्टर ने इंग्लैण्ड वर्क इन इण्डिया में, सिंह एवं साधू (1983) ने इम्प्लाइमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट ऑकुपेशन : स्टडी ऑफ इट्स प्रेस एण्ड कोन में, सचिन कुमार जैन ने मीडिया फॉर राइट्स में, सुरेश डी. तेन्दुलकर समिति रिपोर्ट 2011-12 में, सुभाष संतिया ने ग्रामीण विकास का आधार रोजगार में, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट फरवरी-2015 में, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की

रिपोर्ट 'द स्टेट ऑफ फूड इन सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड 2015' में, एस. एल. मित्तल ने भारतीय समाजशास्त्र में, संगीता यादव ने भारत में गरीबी में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनके द्वारा दरिद्रता सम्बन्धी अध्ययन कर परिणामस्वरूप विचार व्यक्त किए गए हैं।

तृतीय अध्याय में आर्थिक असमानता एवं दरिद्रता, विभिन्न वर्ग समूहों का सकल पारिवारिक व्यय में भाग, असमानता के मापक, दरिद्रता सूचकांक, दरिद्रता का आकलन, दरिद्रता आकलन के अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड, विषमता समायोजन, भारत में दरिद्रता की व्यापकता के अनुमान एवं कुल दरिद्रता, भारत में दरिद्रता अनुपात, दरिद्रता उन्मूलन की योजनाएँ, मानव विकास, मानव विकास सूचकांक पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है।

चतुर्थ अध्याय में शोध प्रारूप एवं पद्धति को निरूपित किया गया है। साथ ही जनसंख्या एवं निदर्श दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के आर्थिक एवं सामाजिक तथ्यों तथा सामाजिक परिस्थितियों का वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान, परिपक्वता तथा पूर्णतत्त्व प्राप्त करने के लिए इसमें प्रयोग तथा नियन्त्रण के आधार पर सम्बन्धित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। शोधकार्य के प्रारम्भ करने से पूर्व ही इसका कार्यक्रम इस ढंग से बनाया गया है कि तथ्यों के संकलन, चयन तथा विश्लेषण से उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।

शोध संरचना में शोध की रूपरेखा तैयार की गई तथा शोध की प्रक्रिया के अन्तर्गत शोधकार्य में उपकल्पना निर्मित कर उसका परीक्षण किया गया है। प्रतिचयन की सहायता से उपयोग में लाये जाने वाले आँकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रसम्भावना सिद्धान्त द्वारा नियन्त्रण रखा गया है। प्रतिचयन या क्रमबद्ध चयन पद्धति की सहायता से दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के समष्टि से सम्बन्धित व्यक्तिगत जिसमें अध्ययन के लिये कम से कम 1000 इकाइयों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ी है। इस प्रकार प्रतिचयन के द्वारा दरिद्र व्यक्तियों की समस्याएँ के प्रतिदर्श को अपनी समष्टि का प्रतिनिधित्व बनाया गया है। अनुसन्धान योजना का अध्ययन प्रारंभ से अन्त तक निश्चित क्रम के अनुसार किया गया है। सामाजिक कार्य के लिए वैयक्तिक अध्ययन का चयन कर उसके द्वारा विश्वसनीय आँकड़े प्राप्त करके विश्वसनीय तथ्यों का संकलन कर परीक्षण योग्य निष्कर्ष निकाला गया है।

भारत की जनसंख्या का अलौकिक इतिहास है एवं जनसंख्या वृद्धि उसके विकास में सदैव बाधक रही है। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या देश की महत्वपूर्ण समस्या है। जनसंख्या के विभिन्न गुणों में परिवर्तन से सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन होता है। **माल्थस** के जनसंख्या सिद्धान्त की व्याख्या के आधार पर जनसंख्या की वृद्धि ज्यामिति के अनुसार 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,...बढ़ती है और खाद्यान्न अंकगणतीय पद्धति के अनुसार, 1, 2, 3, 4, 5, 6,...बढ़ते हैं एवं 25 वर्ष में राष्ट्र की जनसंख्या दो गुनी हो जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष उपरान्त होने वाली जनगणना से भारत की जनसंख्या की स्थितियाँ अथवा प्रवृत्तियाँ पता चलती हैं।

जनसंख्या निदर्श में अप्राचलिक विधि या प्रतिचयन की सहायता से प्रतिदर्श पर अनुसन्धान समस्या का अध्ययन किया गया है। अप्राचलिक विधि का आधार प्रतिदर्श है।

दरिद्र व्यक्तियों का प्रतिदर्श समष्टि या सम्पूर्ण जनसंख्या का वह अंश है जिसमें अपनी समष्टि की समस्त विशेषताओं का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है।

दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद फर्रुखाबाद को चुना गया है। **भारतीय जनगणना-2011** के अनुसार, फर्रुखाबाद जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2181 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या घनत्व 865 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 1887577 (पुरुष 1007479, स्त्रियाँ 880098) जिसमें 429990 नगरीय एवं 1457587 ग्रामीण जनसंख्या है तथा कुल साक्षर जनसंख्या 1125457 (70.57%) जिसमें पुरुष 676067(79.34%) एवं स्त्रियाँ 449390 (60.51%) हैं। जनपद की कुल जनसंख्या में 0-6 वर्ष की जनसंख्या का कुल अनुपात 15.51 जिनमें बालक 15.43, बालिकाएँ 15.61 हैं। जनपद में तीन तहसीलें, सात विकासखण्ड, 2 नगर पालिका परिषद, 5 नगरपंचायतें, 87 न्यायपंचायतें, 513 ग्रामपंचायतें, 1009 गाँव हैं। वर्ष-2011 में कामगारों की जनसंख्या 592267 (97722 स्त्रियाँ, 494545 पुरुष) है। कुल मुख्य कर्मकारों का जनसंख्या से प्रतिशत 31.4(नगर 30.6%, ग्रामीण 31.7%) है। कृषि कर्मकारों का जनसंख्या से कुल प्रतिशत 16.72 तथा कृषक एवं कृषि श्रमिक सहित कृषि श्रमिकों का जनसंख्या से कुल प्रतिशत 16.72% है। वर्ष 2015-16 में कृषक-245089 (46.0%), कृषि श्रमिक 135669 (20.40%), पारिवारिक उद्योग 43528 (5.6%), अन्य श्रमिक 167971 (28.0%) है। **दरिद्रता की रेखा से नीचे गुजारा करने वाले कुल परिवार 100600** (92100 ग्रामीण, 8500 नगरीय) जिनकी **जनसंख्या 475111** है।

प्रतिदर्श में जनपद के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के दरिद्र व्यक्तियों, जो दरिद्रता रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, को लिया गया है। प्रतिदर्श में चुनी गई 1000 इकाइयों की प्रतिदर्श सूची में ग्रामीण दरिद्र व्यक्तियों की संख्या 700 एवं नगरीय दरिद्र व्यक्तियों की संख्या 300 है, जिनमें विकासखण्ड-बढ़पुर के 100 व्यक्ति, कमालगंज के 100 व्यक्ति, कायमगंज के 100 व्यक्ति, मोहम्मदाबाद के 100 व्यक्ति, शमशाबाद के 100 व्यक्ति, राजेपुर के 100 व्यक्ति, नबाबगंज के 100 व्यक्ति हैं तथा नगर क्षेत्र-फर्रुखाबाद के 50 व्यक्ति, मोहम्मदाबाद के 50 व्यक्ति, कमालगंज के 50 व्यक्ति, कायमगंज के 50 व्यक्ति, शमशाबाद के 50 व्यक्ति, कम्पिल के 50 व्यक्ति हैं। प्रतिदर्श सूची में वर्णित सभी धर्मों एवं जातियों तथा वर्गों के पुरुषों की कुल संख्या 362 एवं स्त्रियों की कुल संख्या 638 है।

समस्या के निष्कर्ष तक पहुँचने, सामान्यीकरण तथा सैद्धान्तीकरण के लिए सूचनाएँ, तथ्यों का संग्रह, संख्यात्मक एवं गुणात्मक बातें मालूम करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले तथ्यों के उपकरणों एवं विधियों की सहायता से संकलित किया गया है। तथ्यों के अन्तर्गत सूचनादाताओं से साक्षात्कार विधि से दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं से सम्बन्धित सूचनाएँ हैं। तथ्यों का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री एवं आँकड़ों से है जो उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद कार्यक्षेत्र एवं प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं। प्राथमिक तथ्यों के संकलन में आवश्यकतानुसार सरकारी संस्थाओं के आँकड़ों का प्रयोग किया गया है।

दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची निर्मित करके फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन

किया गया है। साक्षात्कार प्रक्रिया में अनुसूची का उपयोग साक्षात्कार की वस्तुनिष्ठ, नियन्त्रण व संरचित रूप प्रदान कर किया गया है। आँकड़ों के संकलन में साक्षात्कार अनुसूची उपकरण से विस्तृत तथा उपयोगी आँकड़े उपलब्ध हुए हैं तथा प्रस्तुत अनुसन्धान समस्या के गहन अध्ययन का भी समुचित अवसर प्राप्त हुआ है। इससे प्राप्त आँकड़ों के वर्गीकरण तथा स्पष्टीकरण में भी विशेष सुविधा रही है। अनुसूची का आकार मानक के अनुरूप 20x12 सेमी. है तथा कागज की बनावट, स्याही एवं छपाई उत्तम प्रकार की है और उसके शीर्षक व उपशीर्षक यथास्थान पर लिखे गए हैं। प्रश्न एवं पदों की संख्या उपयुक्त है तथा अनुसूची के पृष्ठों पर दोनों ओर से न लिखकर केवल एक ओर ही लिखा गया है।

कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अध्ययन-कर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद फर्रुखाबाद के व्यक्तियों से सम्पर्क किये जाने का विवरण है। अध्ययन-कर्ता द्वारा दरिद्र व्यक्तियों, जो दरिद्रता रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, को लिया गया है, से वार्ता की गई तत्पश्चात् उपरोक्त वार्ता एवं सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से प्राप्त जानकारी के आधार पर अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया है। अध्ययन-कर्ता द्वारा दो वर्ष तक का समय उ.प्र. राज्य के जनपद फर्रुखाबाद के नगर क्षेत्र फतेहगढ़ एवं फर्रुखाबाद के बजाजा, दुर्गा-कालोनी एवं आवास विकास मोहल्लों में किराए पर निवास कर जनपद फर्रुखाबाद के सात विकासखण्ड की 513 में से 317 ग्रामसभाओं एवं छः नगरों के 117 वार्डस में घर-घर जाकर दरिद्र व्यक्तियों की स्थिति का अवलोकन कर वार्ता की गई तथा साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन किया गया है।

प्रस्तुत शोध में निदर्श के आधार पर यथोचित सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग किया गया है। सांख्यिकी के अन्तर्गत देश की राज्यवार जनसंख्या विवरण, उत्तर प्रदेश की जिलेवार जनसंख्या का विवरण, फर्रुखाबाद जनपद की विकासखण्डवार जनसंख्या का विवरण आदि के मुख्य तथ्य, प्रतिदर्श में चुने गये दरिद्र व्यक्तियों से सम्बन्धित तथ्यों का वर्गीकरण, प्रतिदर्श में चुने गए दरिद्र व्यक्तियों की आयु वर्गानुसार वर्गीकरण, प्रतिदर्श में चुने गए दरिद्र व्यक्तियों आय का वर्गीकरण, प्रतिदर्श में चुने गए दरिद्र व्यक्तियों के लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, जाति-वर्ग के अनुसार वर्गीकरण तथा साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं को अनुसूची के प्रश्न संख्या 1 से 15 तक के प्रश्नों में प्राप्त अंक एवं परिणाम तथा अनुसूची के प्रश्न संख्या 16 से 29 तक में प्राप्त अंक एवं योग का विवरण तथा अनुसूची के प्रश्न संख्या 1 से 29 तक में प्राप्त अंकों का कुल योग एवं प्रतिशत के संख्यात्मक तथ्य प्राप्त किए गए हैं। इसी अध्याय में फर्रुखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों से तथ्यों का संकलन का विवरण भी है।

पंचम अध्याय में तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या का विवरण है। दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु ऐसे व्यक्तियों को लिया गया है जो दरिद्रता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों से हैं और इनके लिए प्रतिदर्श के आधार पर 1000 इकाइयों का प्रतिदर्श चुनकर अनुसूची की रचना में इसे उपयोग में लाया गया है। संपर्क के आधार पर प्रतिदर्श हेतु चुने गये 1000 व्यक्तियों की साक्षात्कार-सूची में

वर्णित लोगों से सम्पर्क किया गया है तथा बातचीत एवं सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से प्राप्त जानकारी के आधार पर अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया है।

साक्षात्कार अनुसूची में कुल 1 से 29 तक प्रश्नों का विवरण हैं। प्रश्न-1 से 15 तक में उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत जानकारी हेतु प्रश्न पूँछे गए हैं। प्रश्न-1 में उत्तरदाता की दाम्पत्य स्थिति पूँछी गई है, जिसके लिए कुल 2 अंक(विधवा/तलाक/विदुर/परित्यक्त-2, वैवाहिक-1 अंक) दिए गए हैं। प्रश्न 2 में उत्तरदाताओं के परिजनों की संख्या पूँछी गई है जिसके लिए कुल 12 अंक (सदस्य संख्या के आधार पर अंक) दिए गए हैं। प्रश्न-3 में उत्तरदाताओं का व्यवसाय पूँछा गया है, जिसके लिए कुल 4 अंक (भिखारी, खेतिहर मजदूर, मजदूर, बेरोजगार को क्रमशः 4, 3, 2, 1 अंक) दिए गए हैं। प्रश्न-4 में उत्तरदाता की आय पूँछी गई है, जिसके लिए कुल 4 अंक (आय सीमा रु.0-500 तक के लिए 4, रु.501-1000 तक के लिए 3, रु.1001-1500 तक के लिए 2, रु.1601-2000 तक के लिए 1 अंक) दिए गए हैं। प्रश्न-5 में सम्पत्ति पर उत्तरदाताओं का स्वामित्व पूँछा गया है, जिसके लिए कुल 2 अंक (हाँ-2, नहीं-0 अंक) दिए गए हैं। प्रश्न 6 में उत्तरदाता के परिजनों की शिक्षा पूँछी गई है, जिसके लिए कुल 1 अंक (हाँ-1, नहीं-0 अंक) प्रश्न 7 में उत्तरदाताओं से उसके आश्रितों की शैक्षिक स्थिति पूँछी गई है, जिसके लिए 1 अंक (हाँ-1, नहीं-0 अंक) दिए गए हैं। प्रश्न 8 उत्तरदाताओं के आश्रितों की स्वास्थ्य स्थिति पूँछी गई है, जिसके लिए कुल 1 अंक (हाँ-1, नहीं-0 अंक) दिए गए हैं। प्रश्न-9 में उत्तरदाता से उसके आश्रित की कुपोषण से मृत्यु के सम्बन्ध में पूँछा गया है, जिसके लिए कुल 1 अंक (हाँ-1, नहीं-0 अंक) दिए गए हैं। प्रश्न-10 में उत्तरदाता से विद्युत उपभोग के सम्बन्ध में पूँछा है, जिसके लिए कुल 1 अंक(हाँ-0, नहीं-1 अंक) दिए गए हैं। प्रश्न-11 में उत्तरदाता के घर में शुद्ध जल उपलब्धता की स्थिति पूँछी गई है, जिसके लिए कुल 1 अंक (हाँ-0, नहीं-1 अंक) दिए गए हैं। प्रश्न-12 में उत्तरदाता की स्वच्छता के सम्बन्ध में पूँछा गया है, जिसके लिए कुल 1 अंक (हाँ-0, नहीं-1 अंक) दिए गए हैं। प्रश्न-13 में उत्तरदाता की आवासीय स्थिति पूँछी गई है, जिसके लिए कुल 1 अंक (हाँ-0, नहीं-1 अंक), प्रश्न-14 में उत्तरदाता के निकृष्ट ईंधन का प्रयोग करने के सम्बन्ध में पूँछा गया है, जिसके लिए कुल 1 अंक (हाँ-1, नहीं-0 अंक), प्रश्न-15 में उत्तरदाता के पास मोटर चालित वाहन साइकिल, रेडियो, फ्रिज, कम्प्यूटर, टेलीफोन एवं टी.वी. की सुविधा के सम्बन्ध में पूँछा गया है, जिसके लिए कुल 1 अंक (हाँ-0, नहीं-1) दिए गए हैं। प्रश्न-16 में उत्तरदाता का आहार-भोजन पूँछा गया है। इस प्रश्न के 14 भाग हैं और प्रत्येक भाग के उत्तर के लिए 3 विकल्प:-पर्याप्त, कम, नहीं दिए हैं जिसके लिए कुल 28 अंक (प्रत्येक पर्याप्त-0, कम-1, नहीं-2 अंक) दिए गए हैं। प्रश्न 17 में उत्तरदाताओं के वस्त्रों की स्थिति के सम्बन्ध में पूँछा गया है तथा इस प्रश्न के चार भाग और प्रत्येक भाग के उत्तर के लिए दो विकल्प:-हाँ, नहीं दिए हैं जिसके लिए कुल 4 अंक (भाग-1, 3 में नहीं-1, हाँ-0, भाग-2 एवं 3 में नहीं-0, हाँ-1 अंक) दिए गए हैं। प्रश्न-18 में उत्तरदाताओं के आवास की स्थिति के सम्बन्ध में पूँछा है तथा इस प्रश्न के तीन भाग हैं और प्रत्येक भाग के उत्तर के लिए दो विकल्प:-हाँ, नहीं दिए हैं जिसके लिए कुल 4 अंक (भाग-1, 2 में नहीं-1, हाँ-0, भाग-3 में नहीं-0, हाँ-1 अंक) दिए गए हैं। प्रश्न-19 में उत्तरदाताओं की स्वास्थ्य स्थिति के सम्बन्ध में पूँछा है एवं इस प्रश्न के 2 भाग

कि, दरिद्र व्यक्ति अपने और अपने आश्रितों के जीवन को बनाए रखने के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं—रोटी, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की पूर्ति कैसे करते हैं?

वर्तमान में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य जन के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ एवं साधन स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, धनी, ठगों एवं संगठित अपराधियों की सुख-सुविधाओं तथा आय के साधन बन गए हैं। इस सम्बन्ध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दुःखी, वृद्ध, बीमारी ग्रसित लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर बाँकी नहीं रखते हैं। अतः स्पष्ट है कि, (i) दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं में पूँजीवाद का प्रभाव है, (ii) दरिद्र व्यक्ति न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने हेतु आवश्यक आय जुटाने में असमर्थ रहते हैं, (iii) दरिद्र व्यक्ति और उनके प्रतिपाल्य जीवन उपयोगी आवश्यक शिक्षा से वंचित हैं, (iv) दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं से सामाजिक विचलन की समस्या उत्पन्न होती है तथा (v) दरिद्र व्यक्तियों की समस्याएँ मानव विकास को प्रभावित करती हैं। जिसके कारण दरिद्र व्यक्ति और उनके आश्रित जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं से वंचित रहकर जीवन यापन कर रहे हैं।

षष्ठम् अध्याय शोध एवं प्रबन्ध— दरिद्र व्यक्तियों की समस्याएँ (जनपद फर्रुखाबाद का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) अध्ययन का सामान्यीकरण एवं सुझाव प्रस्तुत करता है। दरिद्रता तथा दरिद्र व्यक्तियों के जीवन यापन की स्थिति और उनकी समस्याएँ दरिद्र व्यक्तियों से सम्पर्क करके और उनसे वार्ता से ही ज्ञात होती हैं। दरिद्र व्यक्ति अपने और अपने आश्रितों के जीवन को बनाए रखने के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के अभाव में किस प्रकार जीवन यापन करते हैं। इनके द्वारा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले अपराध प्रस्तुत किए गए हैं। दरिद्र व्यक्तियों और उनके आश्रितों के जीवन में रोटी, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा के वंचन से भूख, दुःख, दर्द एवं जलालत पूर्ण जीवन यापन करना अधिकांश भारतीयों की मजबूरी बनी हुई है।

भौतिक दृष्टि से दरिद्रता के अनेक कारण हैं—पूँजी का अभाव, साधनों की कमी, परिस्थितियों की प्रतिकूलताएँ, प्रकृति का असहयोग, भाग्य विधान, सहयोग देने में सामर्थ्य की अनुदारता, प्रतिस्पर्धा, विरोधियों के व्यवधान आदि—आदि। इन सब कठिनाइयों द्वारा उत्पन्न होने वाले व्यवधानों को नकारा नहीं जा सकता। वे अड़चने अपने-अपने अवसरों पर कम बाधा नहीं पहुँचाती हों—दरिद्रता से निपटने में कम अवरोध उत्पन्न न करती हों, ऐसी बात नहीं है। इतने पर भी इस तथ्य को पत्थर की लकीर की तरह सुनिश्चित ही मान लेना चाहिए कि मनुष्य को अपनी गरिमा, क्षमता, दक्षता और समाधानों के प्रति मजबूत होना चाहिए। यह मानकर चलना चाहिए दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण मनुष्य के अपने ही व्यक्तित्व के साथ घुला हुआ अवरोध मात्र है। अदक्ष, अनुत्साही, अव्यवस्थित, अस्त-व्यस्त व्यक्ति पिछड़ेपन से कदाचित ही कभी छुटकारा पा सके, उन्हीं जल में रहकर मीन प्यासी का उदाहरण बने रहना पड़ेगा। प्रगतिशीलों ने अपने दृष्टिकोण, क्रिया-कलाप और उत्साह को रचनात्मक प्रयोजनों के लिए, तन्मयतापूर्वक प्रयुक्त किया है साथ ही उन दुर्गुणों को

छोड़ा भी है जो दूसरों की दृष्टि में अपने को हेय, उपेक्षणीय एवं हतभगी बनाते हैं—यही प्रगति एवं समृद्धि का राज मार्ग है।

(डॉ० नीतू सिंह तोमर)